पंकज कुमार
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग
लखनऊ - 226001
ई मेल : office.md@uppcl.org
कार्यालय : 0522 - 2288377

पत्रांकः 3553/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0 (16) दिनांकः 06 दिसम्बर, 2025

विषय :– "बिजली बिल राहत योजना 2025–26" के अन्तर्गत पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वान्चल
विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी एवं केस्को कानपुर।
[md@pvvnl.org / md@dvvnl.org / md@mvvnl.org /
md@puvvnl.in / mdkesco@kesco.org.in]

विदित है कि इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 3308/मु0अ0(वाणिज्य)/सी0यू0–दो/ओ0टी0एस0 (16) दिनांक 13.11.2025 निर्गत करते हुए समस्त विद्युत वितरण निगमों में दिनांक 01.12.2025 से 28.02.2026 तक एल0एम0वी0–1 (घरेलू) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक तथा एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट हेतु "बिजली बिल राहत योजना 2025–26" लागू की गयी है।

क्षेत्रों से यह फीडबैक प्राप्त हो रहा है कि अनेक ऐसे नेवर पेड उपभोक्ता हैं जिनके द्वारा दिनांक 31.03.2025 के पश्चात् डिस्काम के सतत् प्रयास के कारण कुछ धनराशि का भुगतान कर दिया है तथा इस कारण से वह वर्तमान योजना में लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं। अतः योजना में निम्न अतिरिक्त व्यवस्था की जाती है –

एल0एम0वी0–1 (घरेलू) अधिकतम 02 किलोवाट भार तक तथा एल0एम0वी0–2 (वाणिज्यिक) 01 किलोवाट भार के ऐसे उपभोक्ता, जो कि 31.03.2025 को नेवर पेड उपभोक्ता की श्रेणी में थे तथा उनके द्वारा दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 30.11.2025 की अवधि में पहली बार भुगतान किया हो, को भी योजना का लाभ दिया जायेगा।

ये उपभोक्ता दिनांक 11.12.2025 से योजना में पंजीकरण करा सकेंगे।

"बिजली बिल राहत योजना 2025–26" की अन्य नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।

06.12.2025
(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक (वित्त/वाणिज्य/वितरण/कॉ0प्ला0/का0प्र0 एवं प्रशा0/आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, समस्त विद्युत वितरण वितरण निगम लिमिटेड।
6. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।